

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

M.A. No. 7 of 2026
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 369 of 2022

IN THE MATTER OF:
SACHIN TOMAR

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

....

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD	1-2
2.	<u>ANNEXURE-1</u> The status of all 22 industries	3-43
3.	Vakalatnama	44

NEW DELHI
DATED: 25.05.2026



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT
NEW DELHI**

M.A. No. 7 of 2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 369 of 2022

IN THE MATTER OF:

SACHIN TOMAR

.....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

**ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT, U.P.
POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Geetesh Chandra S/o Shri Radhe Shyam Chandra, aged about 47 years, presently posted as the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.
2. That an action taken report in compliance of directions issued by this Hon'ble Tribunal on 18.01.2024 has been filed on 01.08.2024 on behalf of U.P. Pollution Control Board which has been registered as M.A. No. 7 of 2026.



PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
25 MAY 2026

NOTARY

[Handwritten Signature]

- 3. That in the said compliance report regarding direction No. (iii), it has been stated that out of 32 identified industries, 22 are non-compliance and thus show cause notice has been issued to them and environmental compensation has been imposed.
- 4. That thereafter considering the reply submitted by the industries, show cause notices of 20 industries have been withdrawn and 19 industries have deposited the environmental compensation imposed by UPPCB. The status of all 22 industries is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

The above facts are being placed before this Hon'ble Tribunal for its kind consideration.

NOTARY

NOTARY

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

NOTARY

NOTARY

VERIFIED ON THIS THE 25th DAY OF MAY, 2026 AT MUZAFFARNAGAR.

NOTARY

[Signature]
DEPONENT



Gyeesh chandoy
I, the deponent.....
are identified by S.....
I have satisfied myself..... examining the
deponent who under the contents of
affidavit which have been read out &
obtained by me..... the deponent fee....
charged Rs.
NOTARY, DISTT. MUZAFFARNAGAR

Identified by
[Signature]

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

25 MAY 2026


ANNEXURE – 1

S. No.	Name of the Industry	Action Taken against the unit	E.C. Imposed	Status of E.C. Deposition	Status of SCN
1.	M/s Alpana Papers Pvt. Ltd. Jolly Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	270000.00	Deposited on dated 30.11.2024	Revoked on dated 27.09.2024
2.	M/s Meenu Paper Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	90000.00	Deposited on dated 25.11.2024	Revoked on dated 27.09.2024
3.	M/s Garg Duplex & Paper Mills Pvt. Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	30000.00	Deposited on dated 21.10.2024	Revoked on dated 16.10.2024
4.	M/s Bindlas Duplex Ltd. Unit-1, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	60000.00	Deposited on dated 08.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
5.	M/s Bindlas Duplex Ltd. Unit-2, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	60000.00	Deposited on dated 08.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
6.	M/s Agarwal Duplex & Board Mills Ltd., Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	90000.00	Deposited on dated 17.10.2024	Revoked on dated 24.09.2024
7.	M/s Silverton Paper Ltd. Unit-2, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	270000.00	Deposited on dated 09.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
8.	M/s Tehri Pulp & Papers Ltd., Unit-1, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	60000.00	Deposited on dated 09.12.2025	Revoked on dated 27.11.2024
9.	M/s Tehri Pulp & Papers Ltd., Unit-2, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	60000.00	Deposited on dated 09.12.2025	Revoked on dated 03.12.2025
10.	M/s S.K. Papers Ltd., Jolly Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	180000.00	Deposited on dated 10.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
11.	M/s Silvertoan Pulp & Paper (Unit-2) Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	120000.00	Deposited on dated 22.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
12.	M/s Silverton Paper Ltd. Unit-1, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	270000.00	Deposited on dated 08.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
13.	M/s Mahalaxmi Kraft & Tissues, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	60000.00	Deposited on dated 03.02.2025	Revoked on dated 31.01.2025

S. No.	Name of the Industry	Action Taken against the unit	E.C. Imposed	Status of E.C. Deposition	Status of SCN
14.	M/s Orient Board & Paper Mill Pvt. Ltd., Jansath Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	60000.00	Deposited on dated 16.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
15.	M/s Genus Papers & Board Ltd. (Unit-2), Jansath Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	120000.00	Deposited on dated 09.09.2024	Revoked on dated 04.09.2024
16.	M/s Shakumbari Pulp & Paper, Bhopa Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	0.0	0.0	Show Cause Notice Effective
17.	M/s Siddheshwari Industries Pvt. Ltd., Jansath Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	90000.00	Deposited on dated 10.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
18.	M/s Triveni Engg. & Industries (Alco chemical complex), Bhikki Bilaspur, Jolly Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	0.0	0.0	Revoked on dated 29.10.2024
19.	M/s Triveni Engg. & Industries Ltd., (Sugar Unit), Khatauli, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	0.0	0.0	Show Cause Notice Effective
20.	M/s Saral Chemtech LLP, Jansath Road, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	40000.00	Deposited on dated 17.10.2024	Revoked on dated 27.09.2024
21.	M/s Magma Industries, Beghrajpur, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	80000.00	Deposited on dated 25.11.2024	Revoked on dated 27.09.2024
22.	M/s Gulshan Polyols Ltd., Jansath Road, Shernagar, Muzaffarnagar	Show cause notice dated 05.04.2024 issued u/s 33A of Water Act 1974	390000.00	Deposited on dated 07.08.2024	Revoked on dated 02.08.2024


JE

Sandhya sharma
J.E


K. Sanjish Kumar
AEE

संदर्भ संख्या: 117940 / सी-3 / जल-466 / मुजफ्फरनगर / दिनांक: 27/9/2024

सेवा में,

मैसर्स अल्पना पेपर्स प्रा० लि०,
9वां कि०मी०, जौली रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09075/सी-3/जल-466/मु०नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 07.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 04.01.2024 तक अर्थात् कुल 09 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप रखते हुए पुनः प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हुए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग द्वारा ई०टी०पी० के आउटलेट पर स्थापित ओ०सी०ई०एम०एस० को सी०पी०सी०वी० एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०एस० संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ०प्र० सरकार एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ़ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयवद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू० 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://ep.eshik.com/OrderPage/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समभावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र० एन०जी०, उ०प्र० प्रदूषण निवारण बोर्ड, लखनऊ।

टी.सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष - 0522-2720828, 2720831

ई-मेल - info@uppcb.com

वेबसाइट - www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

(2)

- 4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

संदर्भ संख्या: 11794/सी-3/जल 301/2024

दिनांक 27-9-24

सेवा में,

मै0 मीनू पेपर मिल्स प्रा0लि0,
9.5 किमी0, भोपा रोड,
मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै0 मीनू पेपर मिल्स प्रा0लि0, 9.5 किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए संपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09080/सी-3/जल-301/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं रास्तुति दिनांक 05.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 13.01.2024 तक अर्थात् कुल 03 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 90,000/- (नब्बे हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0वी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत आटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रोजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहम्मद अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 90,000/- (नब्बे हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atulish yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



संदर्भ संख्या: 18/2024 सी-3/जल-321/2024

दिनांक: 16/04/24

सेवा में,

पजीकृत

मै0 गर्ग डुप्लेक्स एण्ड पेपर मिल्स प्रा0लि0,

8.5 किमी0, भोपा रोड,

मुजफ्फरनगर। 999579707

विषय:- मै0 गर्ग डुप्लेक्स एण्ड पेपर मिल्स प्रा0लि0, 8.5 किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09068/सी-3/जल-321/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 06.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.01.2024 अर्थात कुल 01 दिवस हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atul Kumar Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

527
07-10-2

संदर्भ संख्या: 117947 / सी-3 / जल-291 / मुजफ्फरनगर दिनांक: 27/9/2024

सेवा में,

मैसर्स बिन्दलास डुप्लेक्स लि०,
(यूनिट-1), 10.6 कि०मी०, ग्राम-जटमुझेडा, भोपा रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09081/सी-3/जल-291/मुजफ्फरनगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 05.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 12.01.2024 तक अर्थात कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/-प्रतिदिन की दर से कुल रू० 60,000/- (साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
 2. उद्योग द्वारा ई०टी०पी० के आउटलेट पर स्थापित ओ०सी०ई०एम०एस० को सी०पी०सी०वी० एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 3. उद्योग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०एस० संख्या 744/2022, मोह्रम अली वनाम उ०प्र० सरकार एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य वनाम उ०प्र० सरकार एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान वनाम स्टेट आफ़ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
 5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
 6. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू० 60,000/- (साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/Direct/eca/51/UPPCB>
Nature of Pollution- Water Pollution
EC imposed in compliance- UPPCB Order
9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

- 1 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
 - 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
 - 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू०एम०डी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
 - 4 अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com
- T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828 2720831

(2)

- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

529

07.10.24

संदर्भ संख्या

417939

/सी-3/जल-380

मुजफ्फरनगर

दिनांक 27/9/2024

सेवा में,

मैसर्स बिन्दलास डुप्लेक्स लि०,
(यूनिट-2), 10.6 कि०मी०, ग्राम-जटमुझेड़ा, भोपा रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09072/सी-3/जल-380/मु०नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 05.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 12.01.2024 तक अर्थात् कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 60,000/- (साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई०टी०पी० के आउटलेट पर स्थापित ओ०सी०ई०एम०एम०एस० को सी०पी०सी०बी० एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०एस० संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ०प्र० सरकार एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ् उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुसनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू० 60,000/- (साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू०एम०डी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

(2)

- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

531
07-10-24

संदर्भ संख्या: 117946 / सी-3 / जल 319 / मु०नगर/24 दिनांक 24/9/2024

सेवा में,

मैसर्स अग्रवाल डुप्लैक्स बोर्ड मिल्स लि०,
4वां कि०मी०, भोपा रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै० अग्रवाल डुप्लैक्स बोर्ड मिल्स लि०, 4वां कि०मी० स्टोन, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 9071/सी-3/जल-319/मु०नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 27.06.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 12.01.2024 से दिनांक 14.01.2024 तक अर्थात् कुल 03 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 90,000/- (नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाये कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
2. उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उद्योग के संचालन से कूकड़ा ड्रेन/धन्धेड़ा ड्रेन व काली नदी पश्चिमी की जल गुणता प्रभावित न हो।
3. उद्योग द्वारा ई.टी.पी. के आउटलेट पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एम.एस. को सी.पी.सी.बी. एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग द्वारा मा. एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
9. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू० 90,000/- (रू० नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं वितरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://arp.esbika.nic.in/Direct/ce.c3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

10. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष - 0522-2720828, 2720831

ई-मेल - info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

(2)

- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atul Kumar Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

संदर्भ संख्या: 117936 सी-3/जल-384/2024

दिनांक: 27-9-24

सेवा में,

मै0 सिल्वरटन पेपर्स लि0 (यूनिट-2),

9वां किमी0, भोपा रोड,

मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै0 सिल्वरटन पेपर्स लि0 (यूनिट-2), 9वां किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09079/सी-3/जल-384/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के कम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 06.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.01.2024 से दिनांक 20.01.2024 तक अर्थात् कुल 09 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रु0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रु0 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहम्मद अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैगारिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रु0 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.esniksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।
- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atul Kumar Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



संदर्भ संख्या 185372/सी-3/सा.प्र.प.ब. 96/2025,

दिनांक 03/12/2025

सेवा में,

पजीकृत

मैसर्स टिहरी पल्प एण्ड पेपर्स लि०,
(यूनिट-1), 09वां किमी० भोपा रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर। 985758814

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय कं पत्र संख्या एच 9070/सी-3/जल-361/मु०नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग द्वारा उक्त जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में अपना प्रतिउत्तर दिनांक 25.04.2024 एवं 20.09.2025 को प्रेषित किया गया है। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं सरस्तुति दिनांक दिनांक 15.10.2025 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप रखते हुए पुनः प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हुए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग द्वारा इंटीपी० के आउटलेट पर स्थापित ओ०सी०ई०एम०एम०एस० को सी०पी०सी०बी० एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 744/2022, मोह्रम अली बनाम उ०प्र० सरकार एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० न० 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ् उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग पर दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 12.01.2024 तक कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/-प्रतिदिन की दर से कुल रू० 60,000/- (रू० साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी कार्यवाही मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 757-760/2013 डीपीसीसी बनाम लोधी प्रापर्टी कंपनी लि० व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2025 के अनुपालन में आस्थगित रखा जा रहा है।

..2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
वेबसाइट : www.uppccb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppccb.in

(2)

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

उपरोक्त अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Digitally signed by
PRAVEEN KUMAR
Date: 01-12-2025
13:32:33

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
प्रभारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल सस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर।



सदर्य सख्या H:35204 / सी-3 / जल-19 / 2025,

दिनांक 27 / 11 / 2025

सेवा में,

पजीकृत

मैसर्स टिहरी पल्प एण्ड पेपर्स लि०,
(यूनिट-2), 09वा किमी० भोपा रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

विषय- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सख्या एच 9070/सी-3/जल-361/मु०नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग द्वारा उक्त जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में अपना प्रतिउत्तर दिनांक 25.04.2024 एवं 20.09.2025 का प्रेषित किया गया है। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक दिनांक 28.10.2025 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप रखते हुए पुन प्रकिया में प्रयुक्त करते हुए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग द्वारा ई०टी०पी० के आउटलेट पर स्थापित ओ०सी०ई०एम०एम०एस० को सी०पी०सी०बी० एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 744/2022, मोह्रम अली बनाम उ०प्र० सरकार एव ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरश अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० एव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग पर दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 12.01.2024 तक कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/-प्रतिदिन की दर से कुल रू० 60,000/- (रू० साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी कार्यवाही मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सख्या 757-760/2013 डीपीसीसी बनाम लोधी प्रापटी कंपनी लि० व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2025 के अनुपालन में आस्थगित रखा जा रहा है।

..2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.in

(2)

उपरोक्त अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे अन्यथा की दशा में बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05/04/2024 पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Digitally signed by

PRAVEEN KUMAR

Date: 25-11-2025

12:45:50

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

प्रभारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फर।

संदर्भ संख्या: 117928 सी-3/जल 436 / मुनगर/24 दिनांक: 27/9/2024

सेवा में

मेशर्स एसओके0 पेपर मिल्स प्रा0 लि0,
खसरा नं0 604/1/1, 604/1/2,
10वां किमी0 जौली रोड, ग्राम-धन्सेड़ा,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथारसंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09078/सी-3/जल-436/मुनगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 05.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित समुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 04.01.2024 तक अर्थात् कुल 09 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रु0 20,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रु0 1,80,000/- (एक लाख असी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह शदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भोजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहम्मद अली बंनार उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत आली व अन्य बंनार उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचारणीय ओ0ए0 नं0 540/2023 निरागत जन उत्थान संस्थान बंनार स्टेट आफ फंड उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एच मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिसोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रु0 1,80,000/- (एक लाख असी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://www.paytm.com/> या <https://www.paytm.com/merchant/qr/>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिसोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

1 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

4 अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

(2)

5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।

6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

संदर्भ संख्या: सी-3/जल-399/2024

दिनांक: 27-9-24

सेवा में,

मै0 सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0 (यूनिट-2),
9वां किमी0, भोपा रोड,
मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै0 सिल्वरटन पल्प एण्ड पेपर्स प्रा0लि0 (यूनिट-2), 9वां किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09079/सी-3/जल-399/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 05.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.01.2024 से दिनांक 19.01.2024 तक अर्थात् कुल 04 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विधाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू०एम०डी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

संदर्भ संख्या: 117943 सी-3/जल-295/2024

दिनांक: 27-9-24

सेवा में,

मै0 सिल्वरटन पेपर्स लि0 (यूनिट-1),
9वां किमी0, भोपा रोड,
मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै0 सिल्वरटन पेपर्स लि0 (यूनिट-1), 9वां किमी0, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09074/सी-3/जल-295/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 05.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.01.2024 से दिनांक 20.01.2024 तक अर्थात् कुल 09 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू०एम०डी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atul Kumar Yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

545

संदर्भ संख्या: H23611 / सी-3 / जिन 504 / 25 दिनांक: 31 / 1 / 2024

सेवा में,

मैसर्स महालक्ष्मी काफ्ट एण्ड टिश्यूज प्रा० लि०,
9वां कि०मी०, जानसठ रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09086/सी-3/जल-361/मु०नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 03.08.2024 एवं दिनांक 05.11.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 03.01.2024 से दिनांक 04.01.2024 तक अर्थात् कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू० 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 60,000/- (साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप रखते हुए पुनः प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हुए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग द्वारा ई०टी०पी० के आउटलेट पर स्थापित ओ०सी०ई०एम०एस० को सी०पी०सी०बी० एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से सयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०एस० संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ०प्र० सरकार एवं ओ०ए० संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उ्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा० एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू० 60,000/- (साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

JE(R)/JMR

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी वृत्त-3

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010


Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

(2)

- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।


पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी वृत्त-3

संख्या: 11794/सी-3/जल-369/2024

दिनांक: 27-9-24

सेवा में

पंजीकृत

मै0 ओरिएण्ट बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स प्रा0लि0,
8वां किमी0, जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- मै0 ओरिएण्ट बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स प्रा0लि0, 8वां किमी0, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09082/सी-3/जल-369/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 02.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 03.01.2024 से दिनांक 04.01.2024 तक अर्थात् कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 60,000/- (साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एस0 को सी0पी0सी0वी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोह्रम अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित कियें जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 60,000/- (साठ हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।
- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

549

129-24

संदर्भ संख्या: H16707 / सी-3/जल/586 / प्र.सं. 29 दिनांक: 04/08/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स जीनस पेपर एण्ड बोर्ड्स लि०,
8 वां कि०मी०, जानसठ रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

विषय:- मै० जीनस पेपर एण्ड बोर्ड्स लि०, 8 वां कि०मी०, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 9073/सी-3/जल/586/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.06.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 से दिनांक 07.01.2024 तक अर्थात् कुल 04 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रु० 30,000/- प्रतिदिन की दर से से कुल रु० 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से इस प्रकार किया जाये कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
2. उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उद्योग के संचालन से धन्धेड़ा झेन काली नदी (पश्चिमी) एवं हिण्डन नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
3. उद्योग द्वारा ई.टी.पी. के आउटलेट पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एम.एस. को सी.पी.सी.बी. एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग द्वारा मा. एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
9. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रु० 1,20,000/- (रु० एक लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.esbiksa.net/Direct/eest/3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

10. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू०एम०डी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

(2)

- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atul Singh Yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

संख्या: 117935/सी-3/जल-489/2024

दिनांक 27-9-24

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 सिद्धेश्वरी इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0,
8.6 किमी0, जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- मै0 सिद्धेश्वरी इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, 8.6 किमी0, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपटित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09084/सी-3/जल-489/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 02.08.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 03.01.2024 से दिनांक 05.01.2024 तक अर्थात् कुल 03 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 90,000/- (नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहम्मद अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 90,000/- (नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।
- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3 :

(2)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulish yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 1/19233 / सी-3 / जल-600 / एन0जी0टी0-2-4 दिनांक 29/10/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स त्रिवेणी इजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,
(एल्को कैमिकल कॉम्प्लेक्स), मोलासिस वेरुड यूनिट,
ग्राम-भिवकी, विलासपुर, जौली रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर। (78959000631)

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण वताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09088/सी-3/जल-600/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण वताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण वताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 17.09.2024 एवं दिनांक 22.10.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग को जारी कारण वताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेण्टवाॅश को एम0ई0ई0 के माध्यम से कन्सन्ट्रेट कर कन्सन्ट्रेटेड स्पेण्टवाॅश को पूर्णतः इन्सीनरेशन ब्यायलर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सके एवं शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था मेन्टेन की जाए।
2. उद्योग से किसी भी प्रकार का प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण किसी नदी/नाले में न किया जाये।
3. उद्योग में बायो-कम्पोस्टिंग का कार्य कदापि न किया जाये।
4. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।
7. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0वी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 406/2023, बावर अली वनाम उ0प्र0 सरकार एवं अदर्स में पारित आदेशों एवं समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
9. आसवनी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कमी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति शर्तों के अनुसार इन्सीनरेशन ब्यायलर के मामले में एम0ई0ई0 सांद्रित स्पेण्टवाॅश के लिए लैंगून/टैंक की भण्डारण क्षमता उत्पादन के बराबर 07 दिनों से अधिक नहीं होगी।
10. आसवनी इकाई के प्रवेश द्वार पर पर्यावरण डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करेगी एवं उसको नियमित रूप से अपडेट करेगी।
11. उद्योग द्वारा स्थापित पी0ई0टी0जेड0 वेव कैमरा को सी0पी0सी0वी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
12. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड की प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाये।
13. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कंडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
14. उद्योग द्वारा अपने परिसर में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।
15. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 540/2023, निरामय जन उत्थान संस्थान वनाम स्टेट आफ उ0प्र0 एवं अदर्स में पारित आदेशों एवं समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।
16. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 859/2022, अगीष्ट कुसुम गुप्ता वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेशों एवं समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010


Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com


(2)

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कार्रवाई नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।
राक्षस अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, गुजफरनगर।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुजफरनगर।
- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, अल्लूएमडीओ, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 अधिसारी अभियन्ता, उओप्रओ पावर कार्पोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, गुजफरनगर।
- 5 अधिसारी अभियन्ता, जल संस्थान, गुजफरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुजफरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

संदर्भ संख्या: सी-3/जल-465/2024

दिनांक: 27-9-24

सेवा में,

मै0 सरल कैमटैक एलएलपी,

खसरा नं0 1225, 1226, 1227, 9वां किमी0, जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै0 सरल कैमटैक एलएलपी, खसरा नं0 1225, 1226, 1227, 9वां किमी0, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 09090/सी-3/जल-465/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के कम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 02.08.2024 पर विचारोपरान्त राक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण दिनांक 03.01.2024 से दिनांक 04.01.2024 तक अर्थात् कुल 02 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 20,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन सुचारु रूप से इस प्रकार किया जाए कि निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह राक्षम मानकों के अनुरूप रहे, जिससे पश्चिमी काली नदी की जल गुणता प्रभावित न हो।
2. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 के आउटलेट पर स्थापित ओ0सी0ई0एम0एम0एस0 को सी0पी0सी0बी0 एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एस0 संख्या 744/2022, मोहंरम अली बनाम उ0प्र0 सरकार एवं ओ0ए0 संख्या 277/2022 लियाकत अली व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 540/2023 निरामय जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एण्ड आदर्स में पारित आदेश एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
6. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

9. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए। राक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulish yadau
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

(2)

- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उOप्रO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulwa yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र संख्या: H15223 / सी-3 / जल-581 / मु0नगर/2024 दिनांक: 02/04/2024

सेवा में,

मैसर्स गुलशन पोलिओल्स लि0,
9वां कि0मी0, जानसठ रोड,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- मै0 गुलशन पोलिओल्स लि0, 9वां कि0मी0 जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 9089/सी-3/जल-581/मु0नगर/2024 दिनांक 05.04.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 28.06.2024 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर गठित संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 23.01.2024 तक अर्थात् कुल 13 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 3,90,000/- (रू0 तीन लाख नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के साथ उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.04.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से इस प्रकार किया जाये कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
2. उद्योग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उद्योग के संचालन से धन्धेड़ा ड्रेन व काली नदी पश्चिमी की जल गुणता प्रभावित न हो।
3. उद्योग द्वारा ई.टी.पी. के आउटलेट पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एम.एस. को सी.पी.सी.बी. एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से संयोजित कर अनवरत डाटा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के माध्यम से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह की बोर्ड/बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषित विश्लेषण आख्या त्रैमासिक रूप से बोर्ड में जमा की जाए।
5. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. उद्योग द्वारा मा. एन.जी.टी. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाए।
9. उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 3,90,000/- (रू0 तीन लाख नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFees3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- UPPCB Order

10. उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दिनांक 05.04.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

E-mail : info@uppcb.com

(2)

- 3 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Appeal/OA NO. MA No 7 of 2026 IN OA No.369 of 2022

In re:

Sachin TomerPlaintiff /Appellants/
Petitioner/ComplainantVERSUS
State of UP & Ors.Defendant/Respondent/
Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We
Anuj Kumar Chaubey the above named Law officer
do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above
noted case & authorize :-

**Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721**

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 25 day of 05 .2026

Ac [Signature] (b)ject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate Advocate (D/435/01)

[Signature]
Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

